इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387]　　　　भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2018—आषाढ़ 20, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्र. 11391-231-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि..—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 जुलाई, 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०१८

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ४) अधिनियम, २०१८

[दिनांक ९ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ११ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ४) अधिनियम, २०१८ है.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,११,९०,३४,४७,७०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये ग्यारह हजार एक सौ नब्बे करोड़ चौंतीस लाख सैंतालीस हजार सात सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	४१,३१,२००	०	४१,३१,२००
०३.	पुलिस				
		राजस्व	१,५०,८९,००,०००	०	१,५०,८९,००,०००
		पूंजी	१,४०,६२,००,०००	०	१,४०,६२,००,०००
०५.	जेल				
		राजस्व	२,३०,००,०००	०	२,३०,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०६.	वित्त				
		पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	८१,००,००,१००	०	८१,००,००,१००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	२५,५०,००,०००	०	२५,५०,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
१०.	वन				
		राजस्व	१,६२,२०,६७,०००	०	१,६२,२०,६७,०००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	२००	०	२००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	१,००,००,००,१००	०	१,००,००,००,१००
१८.	श्रम				
		राजस्व	८,००,००,००,०००	०	८,००,००,००,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	९,५०,००,००,१००	०	९,५०,००,००,१००
		पूंजी	३००	०	३००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
		पूंजी	२,६८,०१,१५,९००	०	२,६८,०१,१५,९००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	१३,४०,००,००,०००	०	१३,४०,००,००,०००
		पूंजी	४००	०	४००
२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	८,५००	०	८,५००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	७,५००	०	७,५००
२६.	संस्कृति				
		राजस्व	२००	०	२००
		पूंजी	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
		राजस्व	१९,८४,४६,७४,६००	०	१९,८४,४६,७४,६००
२८.	राज्य विधान मंडल				
		राजस्व	२,१४,५०,०००	०	२,१४,५०,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	६५,७२,९९,६००	०	६५,७२,९९,६००
३०.	ग्रामीण विकास				
		राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	३००	०	३००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
		राजस्व	२,०८,९३,५००	०	२,०८,९३,५००
३३.	जनजाति कार्य				
		राजस्व	६,११,४०,००,३००	०	६,११,४०,००,३००
३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
		राजस्व	१,००,००,१००	०	१,००,००,१००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण				
		राजस्व	५००	०	५००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
		राजस्व	२,९९,००,००,०००	०	२,९९,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	१४,००,००,०००	०	१४,००,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
		पूंजी	१०,४००	०	१०,४००
४७.	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार				
		राजस्व	१,०१,००,००,७००	०	१,०१,००,००,७००
		पूंजी	३००	०	३००
४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	०	**३,२०,००,०००**	३,२०,००,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
		राजस्व	४,८४,४०,००,०००	०	४,८४,४०,००,०००
५२.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	१००	०	१००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	१४,१५,४७,७९,०००	०	१४,१५,४७,७९,०००
		पूंजी	६१,००,७९,५००	०	६१,००,७९,५००
५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	५,७४,२५,५४,७००	०	५,७४,२५,५४,७००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
		पूंजी	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	६,८४,४७,००,०००	**२५,६०,७२,१००**	७,१०,०७,७२,१००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन				
		पूंजी	३०,१५,००,१००	०	३०,१५,००,१००
	योग :	राजस्व :	१,०१,२१,७४,५२,४००	**२५,६०,७२,१००**	१,०१,४७,३५,२४,५००
		पूंजी :	१०,३९,७९,२३,२००	**३,२०,००,०००**	१०,४२,९९,२३,२००
		वृहद-योग :	१,११,६१,५३,७५,६००	**२८,८०,७२,१००**	१,११,९०,३४,४७,७००

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्र. 11391-231-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 16 OF 2018

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2018.

[Received the assent of the Governor on the 9th July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th July, 2018.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2018-2019.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2018.

Issue of Rs. 1,11,90,34,47,700 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2018-2019.

2. **From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees Eleven thousand one hundred ninety crore thirty four lakh fourty seven thousand seven hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2018-2019 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.**

3. **The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.** **Appropriation.**

THE SCHEDULE

(*See* Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes		(3) Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	**Rs.**	Rs.
01.	General Administration	Revenue	50,00,00,000	**0**	50,00,00,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	41,31,200	**0**	41,31,200
03.	Police	Revenue	1,50,89,00,000	**0**	1,50,89,00,000
		Capital	1,40,62,00,000	**0**	1,40,62,00,000
05.	Jail	Revenue	2,30,00,000	**0**	2,30,00,000
06.	Finance	Capital	5,00,00,000	**0**	5,00,00,000
07.	Commercial Tax	Revenue	81,00,00,100	**0**	81,00,00,100
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	25,50,00,000	**0**	25,50,00,000
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department	Capital	10,00,00,000	**0**	10,00,00,000
10.	Forest	Revenue	1,62,20,67,000	**0**	1,62,20,67,000
12.	Energy	Revenue	200	**0**	200
13.	Former Welfare and Agriculture Development	Revenue	1,00,00,00,100	**0**	1,00,00,00,100

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	**Rs.**	Rs.
18.	Labour				
		Revenue	8,00,00,00,000	**0**	8,00,00,00,000
19.	Public Health and Family Welfare				
		Revenue	9,50,00,00,100	**0**	9,50,00,00,100
		Capital	300	**0**	300
20.	Public Health Engineering				
		Revenue	20,00,00,000	**0**	20,00,00,000
		Capital	2,68,01,15,900	**0**	2,68,01,15,900
22.	Urban Development and Housing				
		Revenue	13,40,00,00,000	**0**	13,40,00,00,000
		Capital	400	**0**	400
23.	Water Resources Department				
		Capital	8,500	**0**	8,500
24.	Public Works—Roads and Bridges				
		Revenue	100	**0**	100
		Capital	7,500	**0**	7,500
26.	Culture				
		Revenue	200	**0**	200
		Capital	25,00,00,000	**0**	25,00,00,000
27.	School Education (Primary Education)				
		Revenue	19,84,46,74,600	**0**	19,84,46,74,600
28.	State Legislature				
		Revenue	2,14,50,000	**0**	2,14,50,000
29.	Law and Legislative Affairs				
		Revenue	65,72,99,600	**0**	65,72,99,600
30.	Rural Development				
		Revenue	300	**0**	300
		Capital	300	**0**	300
31.	Planning Economics and Statistics				
		Revenue	2,08,93,500	**0**	2,08,93,500
33.	Tribal Affairs				
		Revenue	6,11,40,00,300	**0**	6,11,40,00,300

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	**Rs.**	Rs.
35.	Micro, Small & Medium Enterpreises	Revenue	1,00,00,100	**0**	1,00,00,100
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	500	**0**	500
40.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	2,99,00,00,000	**0**	2,99,00,00,000
44.	Higher Education	Revenue	14,00,00,000	**0**	14,00,00,000
45.	Minor Irrigation Works	Capital	10,400	**0**	10,400
47.	Technical Education, Skill Development and Employment	Revenue	1,01,00,00,700	**0**	1,01,00,00,700
		Capital	300	**0**	300
48.	Narmada Valley Development	Capital	0	**3,20,00,000**	3,20,00,000
50.	Horticulture and Food Processing	Revenue	4,84,40,00,000	**0**	4,84,40,00,000
52.	Medical Education	Revenue	100	**0**	100
53.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	14,15,47,79,000	**0**	14,15,47,79,000
		Capital	61,00,79,500	**0**	61,00,79,500
55.	Women and Child Development	Revenue	5,74,25,54,700	**0**	5,74,25,54,700
58.	Expenditure on Relif on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	2,00,00,00,000	**0**	2,00,00,00,000
59.	Externally Aided Projects pertaining to Rural Development Department	Capital	5,00,00,00,000	**0**	5,00,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	**Rs.**	Rs.
64.	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	6,84,47,00,000	**25,60,72,100**	7,10,07,72,100
67.	Public Works-Buildings	Capital	30,15,00,100	**0**	30,15,00,100
	Total **Revenue**	—	1,01,21,74,52,400	**25,60,72,100**	1,01,47,35,24,500
	Total **Capital**	—	10,39,79,23,200	**3,20,00,000**	10,42,99,23,200
	Grand Total	—	1,11,61,53,75,600	**28,80,72,100**	1,11,90,34,47,700

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.